दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 29-06-2025

वेटिंग लिस्ट में नंबर-1 पर नियुक्ति नहीं, हाई कोर्ट से राहत

बिलासपुर | असिस्टेंट ग्रेड-3 पद के लिए चयन प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट में टॉप पर रही युवती को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने कमर्शियल कोर्ट को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कमर्शियल कोर्ट रायपुर में असिस्टेंट ग्रेड-3 के दो पदों पर भर्ती के लिए16 जून 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था। एक पद अनारक्षित और एक ओबीसी के लिए आरक्षित था। चयन प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग से विक्रांत देवांगन को नियुक्त किया गया। राधा डडसेना को वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर थी। बाद में विक्रांत का शिक्षक के पद पर चयन हो गया। इसके बाद उसने कोर्ट की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राधा ने वेटिंग लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की मांग की, लेकिन कमर्शियल कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया। इस पर उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि वेटिंग लिस्ट एक साल तक वैध रहती है। चयनित उम्मीदवार के इस्तीफा देने पर वह पद रिक्त माना जाएगा। ऐसे में वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहे अभ्यर्थी को नियुक्त करना जरूरी है।

पालिका ऑफिस के लिए मिले 1.68 करोड़

बिलासपुर| रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-15 में जूनाशहर मिनी आईटीआई के सामने नया कार्यालय जल्द बनेगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एक करोड़ 67 लाख 70 हजार रुपए मंजूर किए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव के अनुमोदन के बाद राशि मंजूरी का आदेश जारी हो गया है।